

निशक्त जन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन की आद्यावधिक प्रगति

क्र०सं०	धारा	संक्षिप्त विवरण	अद्यावधिक स्थिति
1.	2(टी)	विकलांगता की परिभाषा	विकलांग कल्याण विभाग द्वारा 30 सितम्बर, 2000 के शासनादेश से 40 प्रतिशत अथवा उससे ऊपर के विकलांग व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिये जाने की पात्रता निर्धारित करते हुए आदेश जारी किये जा चुके हैं तथा 50 से 70 प्रतिशत आई0क्यू0 वाले मानसिक मन्दितों हेतु विकलांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1556/5-7-2003-पन्द्रह-7/2002, दिनांक 2 जुलाई, 2003 के द्वारा आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।
2.	2(टी)	विशेष रोजगार कार्यालय	श्रम विभाग द्वारा 10 जनपदों यथा-आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ बरेली, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मथुरा, अलीगढ़ तथा कानपुर में विकलांगों के सेवायोजन हेतु विशेष सेवायोजन कार्यालय 1996-97 में स्थापित किये गये हैं।
3.	13-17	राज्य समन्वय समिति का गठन व बैठकें	राज्य समन्वय समिति का गठन दिनांक-4 सितम्बर, 1997 के आदेश से किया गया था। समिति की अब तक (19-1-98, 7-1-99, 7-9-99, 8-2-2000, 17-1-2001 तथा 14-6-2001) कुल 6 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।
4.	17-19	राज्य कार्यकारी समिति का गठन व बैठकें	राज्य कार्यकारी समिति का गठन दिनांक - 20 नवम्बर, 1997 के आदेश से किया गया था समिति के अब तक (20-3-98, 22-6-99, 8-2-2000, 6-7-2004, 4-6-2001, 16-7-2002 व 29-10-2002) कुल 7 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।
5.	25	विकलांगता की रोकथाम व बचाव	अधिनियम की धारा-26 के अनुरूप 18 वर्ष तक के विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा 10 मार्च, 2000 को शासनादेश जारी कर दिया गया है।
6.	27	विकलांग बच्चों हेतु अनौपचारिक शिक्षा	शिक्षा विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है। इसके बारे में अद्यतन स्थिति विभाग द्वारा दी जानी है।
7.	32	पदों का चिन्हांकन	समूह "ग" व "घ" के पदों के चिन्हांकन के आदेश दिनांक 7-5-99 को जारी किये जा चुके हैं। समूह "क" व "ख" के पदों के चिन्हांकन की कार्यवाही विचाराधीन है।
8.	33	विकलांगों हेतु आरक्षण	कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 20-9-97 द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए लोक सेवाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण के आदेश जारी किये जा चुके हैं।
9.	39	शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण	शिक्षा विभाग द्वारा 27 मार्च, 200 के आदेश से विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों, विद्यालयों में प्रवेश में (राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में भी) 3 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के आदेश जारी किये जाये जा चुके हैं।

क्र०सं०	धारा	संक्षिप्त विवरण	अद्यावधिक स्थिति
10.	40	योजनाओं से आरक्षण	ग्राम्य विकास विभाग के आदेश दिनांक 6-1-2000 द्वारा गरीबी उपशमन योजनाओं में, 9-6-2000 के आदेश द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम्य स्वरोजगार योजना में तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के शासनादेश दिनांक 30-11-99 द्वारा राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा संचालित योजनाओं / कार्यक्रमों में 3 प्रतिशत आरक्षण के आदेश जारी किये गये हैं।
11.	41	प्राइवेट सेक्टर में पांच प्रतिशत का आरक्षण	औद्योगिक विकास आयुक्त से सार्वजनिक व स्कूली क्षेत्र के उपक्रमों हेतु अपील जारी किये जाने का अनुरोध किया जा चुका है। स्थिति औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अवगत करायी जानी है।
12.	43	रियायती दरों एवं प्राथमिकता के आधार पर भवन/भूमि का आवंटन	आवास विभाग के आदेश दिनांक 31 अगस्त, 98 द्वारा भवनों/भूखण्डों के आवंटन में तीन प्रतिशत आरक्षण की गयी है। रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में आवास अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-1967/9-अ-2001-6 रिट 2000-159-65-2001, दिनांक 27-4-2001 के द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं।
13.	45-46	बाधा रहित वातावरण तैयार करना	सरकारी भवनों/सार्वजनिक स्थलों/यातायात आदि में विकलांगों के लिए बाधारहित वातावरण तैयार करने हेतु शासनादेश सं० 501/65-3-03, दिनांक 11-7-2003 के द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं।
14.	50	सक्षम प्राधिकारी घोषित करना	निदेशक, विकलांग कल्याण को दिनांक 1-8-96 के आदेश से सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।
15.	60	पूर्णकालिक आयुक्त की नियुक्ति।	शासन द्वारा पूर्व में पूर्णकालिक आयुक्त की नियुक्ति की गई थी, परन्तु उनके स्थानान्तरण के फलस्वरूप वर्तमान में सचिव, विकलांग कल्याण द्वारा ही आयुक्त, विकलांग जन का कार्य देखा जा रहा है।
16.	67	बीमा योजना तैयार किया जाना	बीमा योजना पर विचार किया गया किन्तु वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान न किये जाने के कारण फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया।
17.	68	बेरोजगार भत्ता दिया जाना।	इस धारा के अन्तर्गत कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।
18.	73	विभिन्न नियमावलियों तैयार करना	इसके अंतर्गत संस्थाओं की रजिस्ट्रकरण नियमावली, 1998, 9 जनवरी 1998 से लागू कर दी गयी है। उ०प्र० निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली 2001 दिनांक-10-10-2001 को निर्गत की जा चुकी है।